न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्या – 12/2018

शिवराम पुत्र श्री नवलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खैमरा तहसील व जिला भरतपुर।

.......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भरतपुर।

.......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 131
राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956
बाबत नक्शा दुरूस्ती हाल खसरा नम्बर
1149/0.35 बाके ग्राम खैमरा तह. व जिला भरतपुर

निर्णय दिनांक : 17.02.2020

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र दिनांक 19.07.2018 अन्तर्गत धारा 128 व 131 राज. भू.राजस्व अधि. का विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि हाल आ.ख.नं. 1149/0.35 बाके ग्राम खैमरा तहसील व जिला भरतपुर है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 1149/0.35 साविक खसरा नम्बर 1477/2.05 से कसीद किया गया है परन्तु बंदोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार से परे अवैध रूप से खिलाफ मौका एवं साविक नक्शा तथा कानूनी प्रावधानों के हाल खसरा नम्बर 1149/0.35 का नक्शा साविक

रा नम्बर 1477/2.05 के विपरीत गलत कसीद कर दिया है तथा
ओं का आकार भी छोटा कर दिया है। चूंकि साविक नक्शा में प्रार्थी
साविक खसरा नम्बर 1477/2.05 आबादी के चिटेवा है तथा खेत
चारों भूजायें लगभग सीधी है। जबकि हाल खसरा नम्बर 1149/0.
को आबादी से हटकर मौका व नक्शा के विपरीत कसीद कर दिया
था भुजायें भी साविक नक्शा व मौके के विपरीत गलत कसीद कर
है। जिसे हाल खसरा नम्बर 1149/0.35 को पैमाइश मुताबिक
शा कराने पर प्रार्थी का कम बैठता है। जबकि मौके पर साविक
शा के अनुरूप रकबा मौके पर पूरा है तथा मुताबिक साविक के ही
मौके पर काबिज काश्तकार है। उक्त तथ्य का पता प्रार्थी को
इश कराने के बाद ही चला है। इस बाबत् जब पटवारी हल्का से
तो पटवारी हल्का द्वारा हाल नक्शा को साविक नक्शा के अनुरूप
स्त कराने की सलाह दी। वदी वजह हाल ख.नं. 1149/0.35 का
शा साविक खसरा नम्बर 1477 /2.05 के अनुरूप दुरूस्त किया
ना न्यायहित में आवश्यक है। बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार
विक नक्शा के मुकाबले हाल नक्शे में परिवर्तन करने का हांसिल
है तथा दौराने बंदोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने
शक्ति बंदोबस्त समाप्त होने के बाद न्यायालय श्रीमान में निहित है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल
नं. 1149/0.35 बाके ग्राम खैमरा तहसील भरतपुर का नक्शा साविक
नं. 1477/2.05 बाके ग्राम खैमरा के नक्शा के अनुरूप दुरूस्त किये
ने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल मिलान
फल, नकल नक्शा हाल एवं गत, नकल जमाबन्दी सं. 2059–62,
20–23 पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर तलवी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी नायब तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 23.12.19 को जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण की नियमानुसार जांच कर निर्णय किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। आ.ख.नं. गत 1477/2.05 बीघा से हाल ख.नं. 1149/0.35 है. निर्मित किया गया है। नकल नक्शा अक्स हाल एवं गत का अवलोकन किया गया। भू-प्रबन्ध विभाग ने गत नक्शा के अनुसार ही हाल नक्शा बनाया गया है। अवलोकन करने पर गत एवं हाल नक्शा में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 17 फरवरी 2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर